न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 06/2021

रामनिवास जुनवाल पुत्र बाबूलाल जुनवाल जाति रेगर निवासी पॉवर हाउस के पास ढाणी देवनगर रोड बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– गलकू पुत्र देवी
2– गीता पुत्री देवी
3– शारदा पुत्री देवी
समस्त जाति ढोली निवासीयान ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर
4–अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति उपजिला अधिकारी अजमेर
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध आदेश कृषि भूमि आवंटन अधिकारी उपजिला अधिकारी महोदय अजमेर जो विशेष राजस्व अभियान कैम्प दिनांक 23.07.1984 को ग्राम देवनगर में आवंटन किया गया

———

उपस्थित :–

1.	श्री सहदेव चौधरी,	अभिभाषक प्रार्थी
2.	श्री बकुल कुमार	अभिभाषक अप्रार्थी 1 से 3
3.	श्री ओमप्रकाश गुर्जर	राजकीय पेरोकार

–: आदेश :–

दिनांक– 12.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम देवनगर के स्व0 कालू पुत्र स्व0 श्री देवी जाति ढोली को आवंटन अधिकारी कैम्प प्रभारी ग्राम देवनगर में दिनांक 23.7.1984 को छोटी पटटी के रूप में आवंटन की गयी थी उक्त आवंटी का ना औलाद स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थीगण जो कि अपने आपको उक्त मृतक आवंटी की विधिक वारिसान होने बाबत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर के कथन करना व्यक्त कर रही है जब कि आवंटी (कालू पुत्र देवी) ना औलाद स्वर्गवास हो चुका है। तथा माननीय न्यायालय उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को विधिक वारिसान नहीं कर ना औलाद मानती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त प्रकरण में आवंटी का विधिनुसार पक्ष प्रस्तुती हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम देवनगर स्थित चौसाला खसरा नम्बर 1460 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 1231 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 1234 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी उक्त दोनो खसरा नम्बरान से आधार खसरा नम्बर 2405/3036 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि तथा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

चौसाला खसरा नम्बर 1056 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 1236 रकबा 7 बिस्वा भूमि छोटी पटटी आवंटन आदेश दिनांक 23.7.1984 में अंकित है किन्तु आवंटी एवं राजस्व ऐजेन्सी ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.7.1984 को आधार बनाते हुए तत्कालीन हल्का पटवारी देवनगर ने अपने स्तर पर नामान्तकरण संख्या 457 में चौसाला खसरा नम्बर 1056 के स्थान पर चौसाला खसरा नम्बर 1458 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 1234 रकबा 7 बिस्वा भूमि आवंटन का गेर कानूनी रूप से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन/नियमन बाबत उदघोषणा जारी किये बिना तथा उक्त आराजीयात के सीव जोड (मेड के लगते) हुए काश्तकारो को सूचित किये बिना उक्त आदेश दिनांक 23.7.1984 को अवैधानिक रूप से पारित कर दिया। विद्वान आवंटन अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.1984 विरूद्व न्याय नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी द्वारा आवंटनशुद्वा आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की जो विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वत 2038 से 2077 से स्वयं सिद्व है एवं न ही कभी मौके पर आवंटी या वर्तमान में विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त कारण से विवादित आराजीयात प्रार्थी को आवंटन/नियमन किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी 1 से 3 की ओर से श्री बकुल कुमार अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस चाही जाने पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया ग्राम देवनगर के स्व0 कालू पुत्र स्व0 श्री देवी जाति ढोली को आवंटन अधिकारी कैम्प प्रभारी ग्राम देवनगर मे दिनांक 23.7.1984 को छोटी पटटी के रूप में आवंटन की गयी थी उक्त आवंटी का ना औलाद स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थीगण जो कि अपने आपको उक्त मृतक आवंटी की विधिक वारिसान होने बाबत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर के कथन करना व्यक्त कर रही है जब कि आवंटी (कालू पुत्र देवी) ना औलाद स्वर्गवास हो चुका है। तथा माननीय न्यायालय उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को विधिक वारिसान नहीं कर ना औलाद मानती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अप्रार्थी संख्या 5 को उक्त प्रकरण में आवंटी का विधिनुसार पक्ष प्रस्तुती हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम देवनगर स्थित चौसाला खसरा नम्बर 1460 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 1231 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 1234 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी उक्त दोनो खसरा नम्बरान से आधार खसरा नम्बर 2405/3036 रकबा 0.05 हैक्टर भूमि तथा चौसाला खसरा नम्बर 1056 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 1236 रकबा 7 बिस्वा भूमि छोटी पटटी आवंटन आदेश दिनांक 23.7.1984 में अंकित है किन्तु आवंटी एवं राजस्व ऐजेन्सी ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.7.1984 को आधार बनाते हुए तत्कालीन हल्का पटवारी देवनगर ने अपने स्तर पर नामान्तकरण संख्या 457 में चौसाला खसरा नम्बर 1056 के स्थान पर चौसाला खसरा नम्बर 1458 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 1234 रकबा 7 बिस्वा भूमि आवंटन का गेर कानूनी रूप से पूर्व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन/नियमन बाबत उदघोषणा जारी किये बिना तथा उक्त आराजीयात के सीव जोड (मेड के लगते) हुए काश्तकारो को सूचित किये बिना उक्त आदेश दिनांक 23.7.

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

1984 को अवैधानिक रूप से पारित कर दिया। विद्वान आवंटन अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.7.1984 विरूद्व न्याय नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी द्वारा आवंटनशुद्वा आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की जो विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वत 2038 से 2077 से स्वयं सिद्व है एवं न ही कभी मौके पर आवंटी या वर्तमान में विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त कारण से विवादित आराजीयात प्रार्थी को आवंटन/नियमन किया जाना न्यायोचित है। आवंटन के पश्चात सबंधित आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण किये जाने के प्रावधान है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में सीधे ही खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 6.8.1984 के माध्यम से सीधे ही खातेदारी का अंकन किया है जो विधि विरूद्व होने से आवंटन आदेश एवं नामान्तकरण संख्या 457 काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.7.1984 को आवंटन कमेटी में दो ही सदस्य उपस्थित थे अर्थात सक्षम कोरम के अभाव में आवंटन आदेश विधि विपरीत पारित किया है जो उक्त आवेदन के माध्यम काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान का रकबा 18 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का लगान 0.31 रूपये निर्धारित करते हुए उक्त राशि की 20 गुणा राशि एवं 5 रूपये सनद फीस जमा कराने के पश्चात ही नामान्तकरण संख्या 457 गेर खातेदारी का स्वीकृत करना था किन्तु उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त राशि आवंटी द्वारा कभी भी राजकोष में जमा ही नहीं करवाई गई इसके उपरान्त राजस्व रेकार्ड में हेरफेर कर आदेश पारित किये है जो संपूर्ण विधिक प्रकिया की अवहेलना करने से आवंटन आदेश काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी को आवंटन आदेश में चौसाला खसरा नम्बर 1056 से भू–संशोधन खसरा नम्बर 1236 रकबा 7 बिस्वा छोटी पटटी के रूप में आवंटन आदेश जारी किये थे जब कि राजस्व एजेन्सी ने उक्त आवंटन आदेश को आधार बनाकर नामान्तकरण संख्या 457 स्वीकृत दिनांक 6.8.1984 में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व एजेन्सी ने स्वयं अपने स्तर पर ही चौसाला खसरा नम्बर 1458 जिसके भू–संशोधन खसरा नम्बर 1234 रकबा 7 बिस्वा भूमि आवंटी को आवंटन करने का आधार बनाकर अंकन किया है। किसी आवंटी को छोटी पटटी के रूप में आवंटन तभी किया जा सकता है जब आवंटी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि छोटी पटटी के लगते हुए स्थित हो। किन्तु राजस्व एजेन्सी द्वारा ऐसी कोई भूमि आवंटन आदेश में स्पष्ट ही नही की गयी कि आवंटी की भूमि आवंटन की जाने वाली छोटी पटटी के लगते हुए स्थित हो । इस कारण भी आवंटन आदेश दोषपूर्ण होने से उक्त आवेदन के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात आवंटन से पूर्व राजस्व एजेन्सी द्वारा कोई उदघोषणा जारी ही नहीं की गयी एवं न ही आवंटनशुद्वा रकबे के लगते हुए कृषको को सूचित ही किया गया यदि आवंटन से पूर्व विधिवत रूप से उदघोषणा जारी की जाती एवं लगते हुए कृषको को सूचित किया जाता तो लगते हुए काश्तकारो को आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता तो राज्य सरकार को अत्यधिक राजस्व प्रप्ति होती तथा विवादित भूमि सार्वजनिक बोली के माध्यम से उच्चतम बोली लगाने वाले कृषक को आवंटन का अवसर प्राप्त होता। प्रार्थी ग्राम देवनगर स्थित वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 2406 रकबा 0.84 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा विवादित आराजीयात प्रार्थी की आराजीयात के दक्षिण दिशा में लगते हुए स्थित है ऐसी स्थिति में उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

भूमि का आवंटन कराने का प्रार्थी पात्र था क्योंकि विधिवत रूप से उदघोषणा के अभाव के कारण आवेदन करने से वंचित रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी एवं अन्य कृषको को विादित आराजीयात आवंटन कराने बाबत अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित था किन्तु आवंटन कमेटी द्वारा बिना प्रार्थी एवं अन्य कृषक को सूचना दिये बगैर ही आदेश अन्तर्गत आवेदन पारित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान उप जिला अधिकारी महोदय अजमेर (आवंटन अधिकारी) द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 23.7.1984 एवं नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 6.8.1984 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं विवादित आराजी का प्रार्थी को नियमन/आवंटन किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अन्य दादरसी जो श्रीमान् प्रार्थी के हक में प्रदान करना उचित समझे प्रदान करने का आदेश पारित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी 1 से 3 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि विशेष राजस्व अभियान कैम्प दिनांक 23.7.1984 को छोटी पटटी आवंटन नियमानुसार कोरम पूर्ण ही नियमन किया गया है व इसी अनुरूप नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि सिवायचक दर्ज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विशेष राजस्व अभियान ग्राम देवनगर केम्प दिनांक 23.07.1984 को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा ग्राम देवनगर निवासी कालू पुत्र देवी जाति ढोली को खसरा नम्बर चौसाला 1460 के भू.संशोधन खसरा नम्बर 1231 रकबा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 1234 रकबा 0–5–10 छोटी पटटी आवंटन किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 09.08.1984 खोला गया नामान्तकरण में उक्त खसरा नम्बर के साथ खसरा नम्बर चौसाला 1458 भू संशोधन खसरा नम्बर 1234 रकबा 7 बिस्वा का भी उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त खसरा नम्बर के साथ नामान्तकरण खोला गया किन्तु आवंटन आदेश में खसरा नम्बर चौसाला 1458 भू संशोधन खसरा नम्बर 1234 का आवंटन होने का कोई साक्ष्य नहीं है। तहसीलदार पुष्कर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.08.2023 व 15.12.2023 में वर्तमान खसरा नम्बर 2409 व 2405/3036 राजस्व रिकॉर्ड में कालू पुत्र देवी जाति ढोली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटी (खातेदार) का कब्जा काश्त नही है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 में खसरा नम्बर 2409 व 2405/3036 पर आवंटन से लेकर आदिनांक तक आवंटी का कब्जा काश्त नही होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे के सबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए है, साथ ही अप्रार्थीगण ने आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नहीं की गई है।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिपेक्ष्य में आंशिक स्वीकार कर ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर के चौसाला खसरा नम्बर 1460 भू–संशोधन खसरा नम्बर 1231 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0–05–10 के हाल खसरा नम्बर 2409 एवं 2405/3036 भूमि का स्व0 कालू पुत्र स्व0 देवी जाति ढोली की हद तक किया गया आवंटन/नियमन दिनांक 23.07.1984 निरस्त किया जाता है। चौसाला खसरा नम्बर 1458 भूसंशोधन खसरा नम्बर 1234 रकबा 0–07–00 का छोटी पटटी आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है साथ ही आवंटन/नियमन आदेश निरस्त होने पर नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 09.08.1984 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेश दिए जाते है कि हाल राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक जरिये नामान्तरकरण दर्ज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार पुष्कर को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर